

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 28/9/2026

विषय : विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को ₹5.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹40,00,000.00 (चालीस लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में ₹5.00 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है।

3. उक्त प्रावधान के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

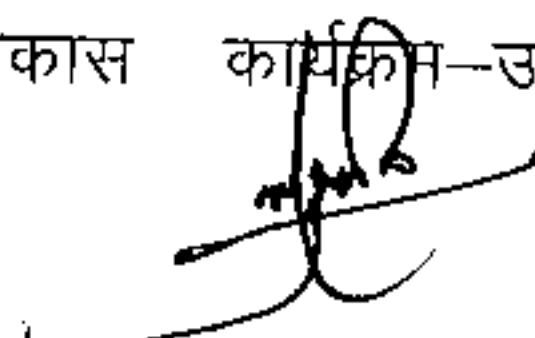
क्र०	संकल्प संख्या	पत्रांक/ दिनांक	मृत व्यक्ति का नाम/पदनाम	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	5482 दिनांक 01.10. 2018	जिला पदाधिकारी, कैमूर, के पत्रांक-1815 दिनांक-29.07.26	स्व० यागेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत सदस्य	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, कैमूर, के अभिलेख दिनांक-25.07.26 में प्राप्त स्वीकृति

2		जिला पदाधिकारी, सारण, के पत्रांक-3997 दिनांक-22.08.26	स्व० मुन्ना कुमार राय, पंच	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, सारण, के पत्रांक-3997 दिनांक-22.08.26 में प्राप्त स्वीकृति
3		जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद, के पत्रांक-1889 दिनांक-05.09.26	स्व० देवेन्द्र कुमार, पंच	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद, के अभिलेख संख्या-02/26- 27 दिनांक-01. 09.26 में प्राप्त स्वीकृति
4		जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-2222 दिनांक-24.08.26	स्व० पुष्पा देवी, उप सरपंच	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, नालन्दा के जाँच-प्रपत्र-207 दिनांक-27.01.26 में प्राप्त स्वीकृति
5		जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-2222 दिनांक-24.08.26	स्व० धनंजय कुमार, उप सरपंच	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, नालन्दा के जाँच-प्रपत्र-661 दिनांक-14.03.26 में प्राप्त स्वीकृति
6	5482 दिनांक 01.10. 2018	जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक-2002 दिनांक-22.07.26	स्व० दाउद आलम, वार्ड सदस्य	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक-2001 दिनांक-22.07.26
7		जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक-2528 दिनांक-03.08.26	स्व० उमेश पासवान, मुखिया	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक-2520 दिनांक-03.08.26
8		जिला पदाधिकारी, मधुबनी, के पत्रांक-1/476047 दिनांक-05.08.26	स्व० गंगा राम, पंच	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, मधुबनी, के आदेश ज्ञापांक-3642 दिनांक-17.09.25
कुल				₹40,00,000.00	

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के "मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष







001-निर्देशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत स्थापना" अंतर्गत "विषय शीर्ष-0101.37.01-अनुग्रह अनुदान" मद से की जायेगी। इसका मांग सं०-16 एवं विपत्र कोड 16-2515000010101 है।

5. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास, सासाराम, एवं मधुबनी होंगे। इस स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास, सासाराम, एवं मधुबनी से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में करते हुए CFMS के माध्यम से मृतकों के आश्रितों के बैंक खाते में अंतरित करेंगे।

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

7. इस स्वीकृत राशि का निर्धारित समय में अंकेक्षण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि की स्वीकृति यह मानकर भी दी जा रही है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जनप्रतिनिधि की मृत्यु से संबंधित सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच विभागीय संकल्प संख्या-5482 दिनांक-01.10.2018 के आलोक में अपने स्तर से करा ली गयी है एवं उक्त संकल्प के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि देय है। साथ ही मृतकों के आश्रितों को गृह विभाग (विशेष) के संकल्प संख्या-ए०/विविध-(38)-60-2008-8960 दिनांक-30.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से किये गये प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है।

साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक को पूर्व में किसी अन्य कोष (यथा NDRF, SDRF अथवा समरूप किसी आपदा कोष) से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-04/2026 के पृष्ठ-36/टि० पर दिनांक-24/09/26 को प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का आदेश संचिका 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-04/2026 के पृष्ठ-36/टि० पर दिनांक-24/09/26 को प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

24/9/26
(नजर हुसैन)

विशेष सचिव





ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-04/2026/55(५१०)/पं०रा०पटना, दिनांक 28/9/26
प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास,
सासाराम, एवं मधुबनी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद कैमूर, सारण,
जहानाबाद, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास, सासाराम, एवं मधुबनी/जिला पंचायत राज
पदाधिकारी, कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास, सासाराम, एवं मधुबनी
/कोषागार पदाधिकारी, कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास, सासाराम,
एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
28/9/26

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-04/2026/55(५१०)/पं०रा०पटना, दिनांक 28/9/26
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(नजर हुसैन)
28/9/26

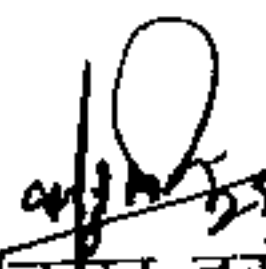
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-04/2026/55(५१०)/पं०रा०पटना, दिनांक 28/9/26
प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-5(बजट)/आई०टी० मैनेजर,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
28/9/26

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-04/2026/55(५१०)/पं०रा०पटना, दिनांक 28/9/26
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
28/9/26

विशेष सचिव



